

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 29/2012/भीलवाड़ा

मैसर्स राज कुटीर सोप, मांगरोप, भीलवाड़ा।

.....प्रार्थी

बनाम:

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा।

.....अप्रार्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एम.पी.शर्मा,
अधिकृत प्रतिनिधि।

.....प्रार्थी की ओर से

श्री डी.पी.ओझा,
उप-राजकीय अधिवक्ता।

.....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.07.2012

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त दो परिशोधन आवेदन पत्र राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 37 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.04.2012, जो अपील संख्या 1384/2010/भीलवाड़ा के संबंध में पारित किया गया है, के संबंध में अभिलेख की प्रकट भूल होना प्रकट कर, पारित संयुक्तादेश दिनांक 26.04.2012 को अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी है।

2. प्रकरण द्वय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 13.08.2003 को मालिक श्री राजेन्द्र कुमार की उपस्थिति में किया गया। अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित लेखा-पुस्तकें नहीं होने पर अधिनियम की धारा 77(1) के तहत श्री राजेन्द्र कुमार को नोटिस दिनांक 16.08.2003 के लिये जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री राजेन्द्र कुमार ने दिनांक 01.04.2003 से दिनांक 13.08.2003 तक यानि वक्त सर्वे तक के व्यापार खाता की विगत प्रस्तुत की। अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजों की जांच कर ₹2,02,090/- के कर योग्य माल साबुन एवम् एसिड ऑयल अघोषित व बिना बिल का पाये जाना अवधारित कर, उक्त

लगातार.....2

का इन्द्राज प्रार्थी व्यवहारी द्वारा अपनी नियमित लेखापुस्तकों में नहीं करने के कारण, अधिनियम की धारा 77(6) का उल्लंघन होना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 77(8) के तहत शास्ति आरोपण हेतु सुनवायी का नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री राजेन्द्र कुमार, प्रार्थी व्यवहारी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर, प्रकरण का अधिनियम की धारा 72(3) के तहत शमन कर, वाद को निष्पादित करने का निवेदन किया। फलस्वरूप, अप्रार्थी सशक्त अधिकारी ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर, शमन राशि ₹50,523/- व व्यवसाय स्थल पर लेखापुस्तकों नहीं संधारित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 62 के तहत शास्ति ₹1,000/- आरोपित कर, अधिनियम की धारा 72(3) के तहत प्रकरण का शमन कर, आदेश पारित किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध प्रार्थी व्यवहारी द्वारा अप्रार्थी सशक्त अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 37 के तहत परिशोधन आवेदन पत्र दिनांक 21.10.2005 को प्रस्तुत किया गया। जिसे अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा जरिये आदेश दिनांक 31.03.2006 के अस्वीकार कर दिया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये आदेश दिनांक 18.03.2010 के अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर, प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील अपील प्रस्तुत करने पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा प्रस्तुत अपील को जरिये निर्णय दिनांक 11.07.2014 के अस्वीकार कर दिया गया। उक्त निर्णय को परिशोधित करने हेतु प्रार्थी व्यवहारी उक्त परिशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपील संख्या 1384/2010/भीलवाड़ा के संबंध में प्रस्तुत परिशोधन का समर्थन कर, कथन किया कि माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय विधिअनुकूल नहीं है। इस संबंध में तर्क दिया कि प्रार्थी व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील अधिनियम की धारा 37 के तहत प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र को अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, प्रस्तुत की गयी थी। जबकि कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अधिनियम की धारा 72(6) के प्रावधानों का निर्वचन कर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की दी गयी। कथन किया कि कर बोर्ड

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 29/2012/भीलवाड़ा की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र के संबंध में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं दिया गया । अग्रिम कथन किया कि अधिनियम की धारा 72(6) के प्रावधान अधिनियम की धारा 84 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी इस धारा के अधीन किये गये किसी शमन के आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं रह सकेगी परन्तु उक्त प्रावधानों में धारा 72(3) के प्रशमन आदेश के विरुद्ध धारा 37 के तहत संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर कोई रोक नहीं है । अतः प्रार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 72(3) के तहत अप्रार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2013 के विरुद्ध दिनांक 21.10.2005 को प्रस्तुत संशोधन आवेदन पत्र विधिसम्मत एवम् उचित था । अतः उक्त तर्कों के आलोक में, कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित आदेश प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के विपरीत होना प्रकट कर, उक्त आदेश को परिशोधित करने की प्रार्थना की गयी ।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण अधिनियम की धारा 37 के क्षेत्राधिकार के बाहर है, क्योंकि माननीय समन्वय पीठ (एकलपीठ) का निर्णय दिनांक 25.09.2009, जिसमें परिशोधन चाहा गया है, वह संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित किया गया है, जिसका पुनर्विलोकन (Review) अधिनियम की धारा 37 के तहत अनुज्ञेय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 को प्रोद्धरित कर, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र द्वय को अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी ।

6. उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया । अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों का आद्योपांत गहन अध्ययन किया गया तथा विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। हस्तगत प्रकरण के संबंध में अधिनियम की धारा 37 का स्पष्टीकरण का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया । अधिनियम की धारा 37 का स्पष्टीकरण इस प्रकार है:-


अधिनियम की धारा 37 का स्पष्टीकरण . - A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently rendered invalid by an amendment of the

परिशोधन आवेदन पत्र संख्या : 29/2012/भीलवाड़ा
law having retrospective operation or by a judgment of the
Supreme Court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax
Board.

7 उक्त स्पष्टीकरण के अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख की प्रकट भूल में कोई ऐसा आदेश आयेगा, जो उस समय विधिमान्य था जब वह पारित किया गया था जिसे भूतलक्षी प्रभाव से विधि के किसी संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या राजस्थान कर बोर्ड के किसी निर्णय द्वारा अविधिमान्य कर दिया जाये तो उक्त अधिनियम की धारा 37 की जद (Scope) में होगा परन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई परिस्थिति मौजूद नहीं है। इस संबंध में अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों के आलोक में, पूर्व में संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से पारित निर्णय का पुनर्विलोकन (review) करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये तर्क पर विचार किया गया जाकर, विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धारित न्यायिक दृष्टांत स.वा.क.अ. बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज सिविल अपील संख्या 2692 /2011 निर्णय दिनांक 29.03.2011 जो (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 में प्रतिपादित विधि को हस्तगत प्रकरण में लागू किया जाना न्यायसम्मत है। उक्त निर्णय में माननीय शीर्ष न्यायालय ने अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों पर गहन विचार कर, यह व्यवस्था दी है कि धारा 37 की परिधि (Scope) में प्रकरण का पुनर्विलोकन नहीं आता। अतः कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा पारित निर्णय जो दिनांक 26.04.2012 को संचेतन मस्तिष्क व खुली आंखों से विधि के प्रावधानानुसार पारित किया गया है, को अधिनियम की धारा 37 के स्पष्टीकरण के प्रकाश में, परिशोधित करना विधिअनुकूल नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के प्रकाश में, परिशोधन आवेदन पत्र विधिसम्मत एवम् न्यायोचित नहीं होने के कारण, उक्त अस्वीकार किये जाने योग्य है। लिहाजा, उक्त को अस्वीकार किया जाता है।

8. परिणामतः, प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है।

9. निर्णय प्रसारित किया गया।


11.2.2014
(मदन लाल)
सदस्य